



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सत्र 2023-24 में नवरथापति का जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष
और प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

GH 761867

इस पुण्य यादव एवं डा० अजय पाल सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक रामबेटी चालिका डिग्री कॉलेज
समिति निकावा, तालग्राम, कन्नौज उ०प्र० शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा रामबेटी कॉलेज ऑफ फार्मसी निकावा, तालग्राम, कन्नौज उ०प्र०
नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की रथापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम तालग्राम देहात में गाटा संख्या 2882 रकवा 0.8250 हेक्टेयर
(2.04 एकड़) कुल रकवा 0.8250 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा
है, और मौमन विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2882 रकवा 0.8250
हेक्टेयर कुलम रकवा 0.8250 हेक्टेयर (2.04 एकड़) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन
फार्मसी संस्थान की रथापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 02.03.2022 द्वारा
पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का
निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित
एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के
नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं
प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में
प्रशिदाण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के

RAM BILAS
(Advocate) NOTARY
1st. Sadar, Farrukhabad (U.P.)
Regd No. 68/2012/000



Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुरक्षित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्भित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी कोई गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

3/2/2018
ह० प्रबन्धक

राम
ह० अध्यक्ष

प्रबन्धक
रामदेवी बलिच डिग्री कार्ले, समिति
निक्षा तात्त्वाम-कन्नौज

TESTED
RAM BALE (Advocate) NOTARY
Teh. Sadar, Farrukhabad (U.P.)
Reg. No. 6812/E/2009

